

**विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम मंगलवार के लिये
निर्धारित श्री पवन कुमार सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये
अतारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तर**

प्रश्न	उत्तर
16(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद- सीतापुर के विकास खण्ड- पहला में कोई खेल मैदान न होने से क्षेत्र के इच्छुक युवाओं को खेलने हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?	युवा कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रावधानानुसार प्रथम चरण में जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में भूमि एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराये जाने का प्रावधान है। जनपद सीतापुर के विकास खण्ड- पहला में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना में स्वीकृत हेतु शामिल किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश दिनांक-22 जनवरी, 2020 के प्रावधानानुसार खेल मैदान का निर्माण जनपद स्तर पर मनरेगा कनवर्जेन्स के माध्यम से कराया जाता है। विकास खण्ड-पहला में 16 खेल मैदान निर्मित हैं, जिसे इच्छुक युवाओं द्वारा खेलने हेतु उपयोग किया जा सकता है।
(ख) उक्त समस्या के निदान हेतु खेल के मैदान का निर्माण करायेगें ?	उपरोक्तानुसार ।
(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?	उपरोक्तानुसार ।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता ।

गिरीश चन्द्र यादव
राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभाग)
युवा कल्याण विभाग